विनोद भायलाल जैन और ओआरएस।

बनाम

वधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. LTD.THROUGH यह निर्देशक और ए. एन. आर. है।

(2011 की सिविल अपील No.6960)

/

24 जुलाई, 2019

[आर**.** भानुमति और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।34, 37(1)(ख)-अपीलार्थी ने कृषि उत्पाद रखने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाओं का उपयोग किया-अपीलार्थी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या।1 उत्पाद को नुकसान पहुँचाया-अपीलार्थी ने मुआवजे के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन बदले में प्रतिवादी नं।1 एक जवाबी दावा किया-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-प्रतिवादी नं।1 माल के भंडारण की प्राप्ति में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान किया गया-इसके अनुसार, प्रत्यर्थी सं।1 विवाद को मध्यस्थ 'एसटीएम' को भेजा गया, एक अधिवक्ता-मध्यस्थ की नियुक्ति पर इस आधार पर आपत्ति जताई गई कि उक्त अधिवक्ता प्रतिवादी नं.1 और अन्य मामलों में इसके भागीदार-हालांकि, मध्यस्थ ने मामले को आगे बढ़ाया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक निर्णय पारित किया-पीड़ित, अपीलार्थी ने यू/एस के तहत याचिका दायर की।34 जिला न्यायालय -जिला न्यायालय के समक्ष अधिनियम की आपत्तियों को उचित पाया गया और पुरस्कार को दरकिनार कर दिया-प्रतिवादी ने यू/एस के तहत अपील दायर की।37(1)(ख) उच्च न्यायालय के समक्ष-उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को बहाल किया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:एस में निहित प्रावधान।12 अधिनियम, 1996 ने उस व्यक्ति पर, जिसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए संपर्क किया गया है, अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति का खुलासा करने का दायित्व डाला-तत्काल मामले में, हालांकि तकनीकी रूप से जब भंडारण रसीद तैयार की गई थी और मध्यस्थता खंड अस्तित्व में आया था, तब प्रकटीकरण के लिए कोई परिस्थिति नहीं थी-हालांकि 'एसटीएम' ने इसके तुरंत बाद, एक पक्ष (प्रतिवादी संख्या 1 का भागीदार) के लिए 'आईडी 1' पर दायर किया था-इस प्रकार, जब मध्यस्थ के समक्ष दावा दायर

किया गया था, तो दोनों घटनाओं के अनुसार, उसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था और दूसरे मामले में एक वकील के रूप में भी मौजूद था।

/

/

/

/

/

/

1080 ए.

1081

विनोद भायालाल जैन. वी.वधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. LTD.THR. इसका निर्देशक ए है

उचित चरण जब उसे इसका खुलासा करना चाहिए था और दावे पर विचार करने से बचना चाहिए था-इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं के लिए यह दावा करने का एक उचित आधार है कि वर्तमान परिस्थिति में मध्यस्थ उनके प्रति निष्पक्ष नहीं होगा, भले ही वह पक्षपाती न हो-इस दृष्टिकोण से, मध्यस्थ द्वारा पारित एक पुरस्कार पोषणीय नहीं था-जिला न्यायालय को याचिकाओं पर विचार करने में उचित ठहराया गया था।34 पुरस्कार को अलग रखने के लिए अधिनियम, 1996।

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** इस तर्क के संबंध में कि 'एसटीएम', अधिवक्ता को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह एक अन्य मामले में प्रतिवादी संख्या **1** के वकील भी थे, उसी पर विचार करने की आवश्यकता है।न केवल उच्च न्यायालय के आदेश में निहित टिप्पणियों से यह देखा गया है कि उक्त मध्यस्थ प्रतिवादी के वकील के रूप में पेश हुआ था, बल्कि अभिलेख से यह भी देखा गया है कि वकालतनामा दिनांक **29.03.2004** के अनुसार मध्यस्थ ने मेसने लाभ मामले में वकालत दायर की है, जिसमें प्रतिवादी संख्या **1** के भागीदारों में से एक 'पी' एक पक्षकार था। हालाँकि यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है कि कथित 'पी' का प्रतिवादी संख्या **1** से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि अपीलार्थियों के वकील ने बताया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** की धारा **37 (1) (**बी**)** के अंतर्गत दायर **2007** की पहली अपील के संबंध में गंभीर पुष्टि करने के लिए सहायक शपथपत्र इसी कार्यवाही के संबंध में उक्त 'पी' द्वारा किया गया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'एसटीएम', मध्यस्थ ने तत्काल मामले में विवाद के एक पक्ष के लिए एक अन्य मामले में

वकील के रूप में काम किया था।उस परिस्थिति में यह भी एक ऐसा मामला नहीं है जहां मध्यस्थ ने मामले में निरीक्षण करके या ऐसे हितों के टकराव की जानकारी के बिना आगे बढ़ा था।जैसा कि देखा गया है, इस संबंध में आपत्ति उठाने वाले अपीलार्थियों की ओर से एक कानूनी नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित किया गया था।हालाँकि ऐसा नोटिस अपीलार्थियों के पिता द्वारा दिए गए निर्देशों पर जारी किया गया था, लेकिन यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं है और न ही अपीलार्थियों ने इसे नजरअंदाज करने से इनकार किया है।इसके अलावा, अपीलकर्ताओं में से एक ने **07.08.2006** दिनांकित एक संचार को भी संबोधित किया था जिसमें विद्वान मध्यस्थ से कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसका कारण यह भी था कि वर्तमान मध्यस्थ कार्रवाई नहीं कर सकता था।**[**पैरा **7] [1085-**एफ-एच**; 1086-**ए-डी**]**

/

/

/

/

/

/

1082 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

8. मध्यस्थ ने प्रदर्शनी **68** और **70** में पत्रों पर ध्यान दिया था जैसा कि मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में बताया गया था।इसके बावजूद, मध्यस्थ ने अपना हाथ रोकने के बजाय मामले को आगे बढ़ाया है।उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए की गई टिप्पणियां कि उठाई गई आपत्ति पोषणीय नहीं थी क्योंकि यह अधिनियम, **1996** की धारा **13** की आवश्यकता का पालन नहीं करती थी, उचित नहीं है।वास्तव में, अधिनियम, **1996** की धारा **12** में निहित प्रावधान **23.10.2015** पर प्रभावी संशोधन से पहले भी प्रकटीकरण के लिए बाध्य होगा।यदि धारा **12** को ध्यान में रखा जाता है, हालांकि तकनीकी रूप से **27.02.2004** पर जब भंडारण रसीद निकाली गई थी और मध्यस्थता खंड अस्तित्व में आया था, तो वर्तमान प्रकृति के प्रकटीकरण के लिए कोई परिस्थिति नहीं थी, यह देखा जाता है कि उसने इसके तुरंत बाद, **29.03.2004** पर एक पक्ष के लिए वकालत दायर की है।इस प्रकार, जब **03.06.2006** पर विद्वत मध्यस्थ के समक्ष दावा दायर किया गया था, तो दोनों घटनाओं के अस्तित्व में थे, उन्हें एक मध्यस्थ के रूप में और एक अन्य मामले में एक वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो 'एस. टी. एम.' के ज्ञान के भीतर था और उस परिस्थिति में, यह उचित चरण था जब उन्हें उसी का खुलासा करना चाहिए था और दावे का मनोरंजन करने से बचना चाहिए था।यदि उस पृष्ठभूमि में, **V** के मामले में निर्णय।के.

/

/

/

दीवान एंड कंपनी बनामदिल्ली जल बोर्ड और अन्य। **(2010) 15** एससीसी **717**

अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए जाने को ध्यान में रखा जाता है**,** यह चीजों की निष्पक्षता में था कि 'एसटीएम' को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था।**[**पैरा **8] [1086**-ई-एच**; 1087**-ए-सी**]**

/

वी**.** के**.** दीवान एंड कंपनी बनामदिल्ली जल बोर्ड और अन्य। **(2010)**

15 एस**.** सी**.** सी**. 717**-पर निर्भर था।संदर्भित निर्णय

/

(2010) 15 एस**.** सी**.** सी**. 717** पैरा **8** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2011 की सिविल अपील सं. 6960

/

2007 ए की पहली अपील संख्या 187 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.2007 और 31.08.2007 से

/

1083

विनोद भायालाल जैन. वी.वधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. LTD.THR. इसका निर्देशक ए है

गगन सांघी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।सुश्री सृष्टि सेन, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, वासु खेरा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे. 1.एतऽ अपीलकर्तासभ एहि न्यायालय क समक्ष बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 2007 क पहिल अपील सं. 187 मे पारित 30 आ 31 अगस्त, 2007 क आदेश पर आक्षेप करैत छथि।उक्त अपील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यहाँ धारा का आह्वान करते हुए दायर की गई थी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का 37 (1) (बी) (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम 1996' के रूप में संदर्भित)।उक्त अपील के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 ने धारा 1 के अंतर्गत कार्यवाही में एम. सी. ए. संख्या 538/2006 में प्रधान जिला न्यायाधीश, नागपुर द्वारा पारित दिनांक 06.11.2006 के आदेश पर हमला किया था। अधिनियम, 1996 की धारा 34।

/

/

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास नागपुर में एक शीतागार है।श्री सुरेश वाधवानी इसका प्रबंधन करते हैं।इसमें अपीलकर्ता जो श्री भैयालाल जैन के पुत्र हैं, कृषि उत्पादों के लिए कमीशन एजेंट के रूप में व्यवसाय में लगे हुए हैं।इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2004 के दौरान शीत भंडारण की सेवाओं का उपयोग 'शिंगड़ा' के 50 थैले रखने के लिए किया था जो एक कृषि उत्पाद है।यहाँ अपीलार्थियों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 माल को उचित तरीके से संग्रहीत करने में विफल रहा था जिससे उसे नुकसान हुआ था।इसलिए अपीलार्थियों को मुआवजे की मांग करते हुए दिनांक 18.05.2006 का एक नोटिस जारी किया गया।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यहाँ अपने दिनांकित उत्तर 27.05.2006 द्वारा न केवल अपीलार्थियों द्वारा किए गए दावे का खंडन किया, बल्कि जवाबी दावा भी किया।इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, पक्षकार एक मध्यस्थता खंड द्वारा शासित थे और पक्षकार इस विवाद को, यदि कोई हो, मध्यस्थ, श्री एस. टी. मदनानी, अधिवक्ता को भेजने के लिए सहमत हुए थे।उक्त मध्यस्थता खंड माल के भंडारण के संबंध में जारी की गई रसीद में निहित है।इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने दावे दिनांक 03.06.2006 के माध्यम से इसे विद्वान मध्यस्थ 2nd प्रत्यर्थी श्री के समक्ष प्रस्तुत किया। एस. टी. मदनानी।

/

/

/

/

3. अपीलार्थियों के पिता ने उस पृष्ठभूमि में मध्यस्थता खंड के अस्तित्व और विशेष रूप से श्री एस. टी. मदनानी की नियुक्ति पर विवाद करते हुए दिनांक 1 को एक नोटिस जारी किया।

/

एक मध्यस्थ के रूप में अधिवक्ता विवादित था और यह तर्क दिया गया था कि उक्त अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 का वकील होने के नाते और अन्य मामलों में उसके भागीदार उन विवादों के संबंध में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 एक पक्षकार है।उसी की एक प्रति विद्वान मध्यस्थ को भी भेजी गई थी।इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने 29.07.2006

और 07.08.2006 दिनांकित पत्रों को भी संबोधित किया, जिन्हें विद्वान मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही के आदेश पत्र में और पारित पुरस्कार में भी नोट किया गया था।इसके बावजूद, इस तरह की आपत्ति की परवाह किए बिना और इसे अप्रासंगिक बताते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने इसमें अपीलकर्ताओं की अनुपस्थिति में मामले को आगे बढ़ाया और अपीलकर्ताओं को आदेश के अनुसार दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए दिनांक 1 का पुरस्कार पारित किया।विद्वान मध्यस्थ ने अपीलार्थियों पर Rs.43,000/- का जुर्माना भी लगाया।यह उस प्रकाश में है कि पीड़ित होने का दावा करने वाले अपीलार्थियों ने धारा के अंतर्गत याचिका दायर की है। अधिनियम, 1996 का 34 जिला न्यायाधीश, नागपुर के समक्ष, विशेष रूप से विद्वान मध्यस्थ के आचरण के संबंध में, पुरस्कार पर आपत्ति उठाते हुए।विद्वान जिला न्यायाधीश ने इसकी सराहना करते हुए यह राय व्यक्त की कि विद्वान मध्यस्थ ने वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 के भागीदार श्री सुरेश के लिए एक वकील के रूप में काम किया था, जो तथ्य धारा 1 के संदर्भ में प्रकट नहीं किया गया था। अधिनियम, 1996 की धारा 12 और धारा को ध्यान में रखने पर भी। अधिनियम की धारा 13 में आपत्ति को उचित पाया गया और दिनांक 06.11.2006 के आदेश द्वारा पुरस्कार को रद्द कर दिया गया।4. प्रत्यर्थी संख्या 1, जो इससे व्यथित था, ने अधिनियम, 1996 के Sec.37 (1) (b) के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू की जांच करते हुए यह राय व्यक्त की कि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले अधिवक्ता श्री एस. टी. मदनानी के संबंध में उठाई गई आपत्ति श्री भैयालालजी जैन द्वारा उठाई गई थी, जो इसमें अपीलार्थियों के पिता हैं, न कि अपीलार्थियों द्वारा और इस तरह इसे किसी पक्ष द्वारा कार्यवाही के लिए आपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि धारा के अंतर्गत विचार किया गया है। अधिनियम का 13. इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि विद्वान मध्यस्थ प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए एक मामूली लाभ के मामले में एक वकील के रूप में उपस्थित हुआ था, यह एक उचित व्यक्ति को यह विश्वास नहीं कराएगा कि मध्यस्थ पक्षपाती था और इस बात की संभावना थी कि मध्यस्थ प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में फैसला देगा।यह भी देखा गया कि एक निष्पक्ष व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि विद्वान मध्यस्थ केवल इसलिए पक्षपाती था क्योंकि वह किसी अन्य मामले में मध्यस्थता के लिए पक्षकार के वकील के रूप में पेश हुआ था।उस दृष्टिकोण में आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने ए में पारित आदेश को रद्द कर दिया।

/

/

/

/

/

/

/

विनोद भायालाल जैन. वी.वधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. LTD.THR. यह निदेशक है [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

सेक के अंतर्गत कार्यवाही। अधिनियम, 1996 की धारा 34 और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को बहाल किया।अतः अपीलार्थी इस याचिका में इस न्यायालय के समक्ष है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, यह देखा गया है कि सीमा पर विचार के लिए यहां उत्पन्न होने वाले मुद्दे पक्षों को नियंत्रित करने वाले मध्यस्थता खंड के अस्तित्व या अन्यथा के संबंध में हैं और विशेष रूप से मध्यस्थ के आचरण के संबंध में हैं।यह केवल तभी है जब सीमा पर रखी गई उक्त दो बाधाओं को पार किया जाता है, तो दावे के गुण-दोष और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करने का प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होगा।

/

/

6. मध्यस्थता खंड की वैधता से संबंधित मुद्दे पर, अपीलार्थियों के विद्वत वकील का तर्क होगा कि मध्यस्थ के समक्ष दावा उठाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जिस खंड पर भरोसा किया गया था, वह खंड संख्या 9 के संदर्भ में है जो भंडारण के लिए रसीद की ओवरलीफ पर नियमों और शर्तों के रूप में मुद्रित है।उस दृष्टिकोण में, यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के संबंध में पक्षों के बीच मन की कोई बैठक नहीं है और रसीद में मुद्रित इस तरह के शब्द पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।हालाँकि इस तरह का विवाद सामने रखा गया है, फिर भी उक्त मुद्दे को इस न्यायालय को लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है।यह इस कारण से है कि जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है, यह अपीलार्थियों का मामला है कि मध्यस्थता खंड में नामित मध्यस्थ से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपीलार्थियों ने अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नामित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी।चूंकि यह निर्विवाद स्थिति है, इसलिए अपीलार्थियों को इस स्तर पर विपरीत विवाद उठाने से रोक दिया जाता है।इसलिए, इस संबंध में तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

/

/

/

7. इस तर्क के संबंध में कि श्री एस. टी. मदनानी, अधिवक्ता को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह एक अन्य मामले में प्रतिवादी संख्या 1 के वकील भी थे, उसी पर विचार करने की आवश्यकता है।न केवल उच्च न्यायालय के आदेश में निहित टिप्पणियों से यह देखा जाता है कि उक्त विद्वान मध्यस्थ प्रत्यर्थी के वकील के रूप में पेश हुआ था, बल्कि अभिलेख से यह भी देखा

जाता है कि दिनांकित वकालतनामा के अनुसार विद्वान मध्यस्थ ने मेसने प्रॉफिट केस No.7/2004 में वकालत दायर की है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के भागीदारों में से एक श्री प्रकाश एक पक्षकार थे।हालांकि यह होना चाहा जाता है

/

/

1086

/

[2019] 9 एस सी आर।

यह स्पष्ट किया गया कि उक्त श्री प्रकाश का प्रत्यर्थी संख्या 1 से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने बताया है, इस कार्यवाही से संबंधित अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (बी) के अंतर्गत दायर 2007 की पहली अपील के संबंध में गंभीर पुष्टि करने के लिए सहायक शपथपत्र उक्त श्री प्रकाश द्वारा किया गया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि श्री एस. टी. मदनानी, विद्वान मध्यस्थ ने तत्काल मामले में विवाद के पक्षों में से एक के लिए एक अन्य मामले में वकील के रूप में काम किया था।उस परिस्थिति में यह भी ऐसा मामला नहीं है जहां विद्वान मध्यस्थ ने मामले में निरीक्षण करके या ऐसे हितों के टकराव की जानकारी के बिना आगे बढ़ा था।जैसा कि देखा गया है, इस संबंध में आपत्ति उठाने वाले अपीलार्थियों की ओर से एक कानूनी नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित किया गया था।हालाँकि ऐसा नोटिस अपीलार्थियों के पिता द्वारा दिए गए निर्देशों पर जारी किया गया था, लेकिन यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं है और न ही अपीलार्थियों ने इसे नजरअंदाज करने से इनकार किया है।इसके अलावा, अपीलकर्ताओं में से एक, श्री जगदीश ने भी दिनांक 1 को एक संचार को संबोधित किया था जिसमें विद्वान मध्यस्थ से कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसका कारण यह भी था कि वर्तमान मध्यस्थ कार्रवाई नहीं कर सकता था।

/

/

/

8. विद्वान मध्यस्थ ने प्रदर्शनी 68 और 70 में लिखे गए पत्रों पर ध्यान दिया था जैसा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में बताया गया था।इसके बावजूद, विद्वान मध्यस्थ ने अपना हाथ रोकने के बजाय मामले को आगे बढ़ाया है।उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए की गई टिप्पणियां कि उठाई गई आपत्ति पोषणीय नहीं थी क्योंकि यह अधिनियम, 1996 की धारा 13 की आवश्यकता का पालन नहीं करती थी, उचित नहीं है।वास्तव में,

अधिनियम, 1996 की धारा 12 में निहित प्रावधान 23.10.2015 पर प्रभावी संशोधन से पहले भी प्रकटीकरण के लिए बाध्य होगा।अधिनियम, 1996 की धारा 12 की पूर्व-संशोधित उप-धारा (1) इस प्रकार हैः

/

/

“(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह लिखित रूप में किसी भी परिस्थिति का खुलासा करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा होने की संभावना है। "

/

यदि उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है, हालांकि तकनीकी रूप से on27.02.2004 के रूप में जब भंडारण रसीद तैयार की गई थी और मध्यस्थता खंड अस्तित्व में आया था, तो ए के प्रकटीकरण के लिए कोई परिस्थिति नहीं थी।

/

1087

विनोद भायालाल जैन. वी.वधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. LTD.THR. यह निदेशक है [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

वर्तमान प्रकृति में, यह देखा जाता है कि उन्होंने इसके तुरंत बाद, 29.03.2004 पर एक पक्ष के लिए वकालत दायर की है।इस प्रकार, 03.06.2006 पर जब दावा विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दर्ज किया गया था, तो दोनों घटनाएं मौजूद थीं, उन्हें एक मध्यस्थ के रूप में और एक अन्य मामले में एक वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो श्री की जानकारी में अच्छी तरह से था। एस. टी. मदनानी और उस परिस्थिति में, यह उचित चरण था जब उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए था और दावे पर विचार करने से बचना चाहिए था।यदि उस पृष्ठभूमि में, V के मामले में निर्णय।के. दीवान

/

और कंपनी बनाम।दिल्ली जल बोर्ड और अन्य। (2010) 15 एस. सी. सी. 717 पर निर्भर था

अपीलार्थियों द्वारा यह ध्यान में रखा जाता है कि श्री एस. टी. मदनानी को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था।

/

9. अंतिम विश्लेषण में चूंकि हम दावे के गुण-दोष की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उस संबंध में, हमने दावे के गुण-दोष पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की ओर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम दावे पर अंतिम निष्कर्ष के संबंध में जांच करने का साहस नहीं करेंगे कि क्या यह उचित है या नहीं।हालाँकि, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि अपीलार्थियों के लिए यह दावा करने का एक उचित आधार रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में विद्वान मध्यस्थ उनके लिए निष्पक्ष नहीं होगा, भले ही वह पक्षपाती न हो।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह केवल अपीलार्थियों की धारणा हो सकती है।ऐसा हो, इस तरह की भावना के लिए भी कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से तब जब मध्यस्थता के मामले में पक्षकारों को अपनी पसंद के एक न्यायाधीश को नामित करने का अवसर मिलता है, जिस पर उन्हें विश्वास और विश्वास होता है, जबकि मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया में उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है।10. इसके अलावा जब एक को दूसरे के मामले का न्याय करने की आवश्यकता होती है, तो न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी प्रतीत होना चाहिए कि यह किया गया है।इसलिए उस पृष्ठभूमि में, यदि वर्तमान परिस्थिति को नहीं लिया जाता है, तो अपीलार्थियों के लिए इस तरह के तर्क को सामने रखने का उचित आधार था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें उन्होंने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लिया था।यदि और कुछ नहीं, तो कम से कम औचित्य की मांग थी कि विद्वान मध्यस्थ को वर्तमान तथ्यों से अलग होना चाहिए था; लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा है।उस दृष्टिकोण से, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित ऐसा पुरस्कार पोषणीय नहीं था और विद्वान जिला न्यायाधीश को अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत याचिका पर विचार करने के लिए पुरस्कार को रद्द करने के लिए उचित ठहराया गया था।उस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (बी) के अंतर्गत दायर अपील को स्वीकार करने में उचित नहीं थे।

/

/

/

/

/

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए; (i) बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा 2007 की पहली अपील में पारित 30 और 31 अगस्त, 2007 के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है;

((ii) परिणामस्वरूप, प्रधान जिला न्यायाधीश नागपुर द्वारा एम. सी. ए. No.538/2006 में दिनांकित 08.08.2006 के निर्णय अपास्त करते हुए ते हुए पारित किए गए 06.11.2006 के निर्णय को बहाल किया जाता है;

/

((ग) पक्षकारों को विधि के अनुसार मध्यस्थता के अपने उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता सुरक्षित है और दावे/जवाबी दावे से संबंधित गुण-दोष पर सभी विवाद खुले छोड़ दिए गए हैं।((iv) लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुज्ञात जाती है।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/